व्ही.आर.खरे भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
V.R.KHARE I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forest's, M.P.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,मध्यप्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
O/o Principal Chief Conservator of Forest's, M.P
First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal
Tel (Office) 0755-2674200 (Resi) 0755- 2674201 Fax- 0755-
E-mail pccfmp@mp.gov.in

अर्ध शास. पत्र कमॉक/D.O.No ..121..3336
दिनांक /Dated :-......3/10/07.........

प.क्र.- | अगला

विषय:– वन सुरक्षा कार्य के लिये वन चौकी व्यवस्था का सुदृढ़ संचालन ।

—

राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास की सभी गतिविधियां परम्परागत बीट व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पादित होती रही हैं । वर्ष 2006 से ऐसे अत्यन्त संवेदनशील वन क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था, जहां वन अपराध प्रवृति के लोगों की बाहुलता एवं आकामक व्यवहार के कारण बीट रक्षक के लिये वन सुरक्षा करने में असंभव परिस्थितियां हैं । चौकी व्यवस्था में सम्मिलित सभी बीटों के बीट रक्षक एवं अतिरिक्त कर्मचारियों को सम्पूर्ण निर्धारित कार्य क्षेत्र में संयुक्त रूप से सभी दायित्वों का निर्वाहन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा इस आशय के स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश कार्यालयीन पत्र कमांक/एफ–12/2005 /10–10/2058 दिनांक 7–7–2006 एवं पत्र कमांक /एफ–12/2005/10–10/ 117 दिनांक 10–1–2007 द्वारा जारी किये गये हैं ।

विभिन्न वन वृत्त एवं वन मण्डलों मे स्थापित चौकी व्यवस्था के अनुश्रवण करने पर प्रकाश में आया है कि चौकी व्यवस्था को अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग ढंग से लागू किया जा रहा है तथा इसके लिये प्रसारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । कतिपय वन मण्डलों में बीटों को यथावत रखते हुये उनके ऊपर पृथक चौकी व्यवस्था कायम की गई है । कुछ वन मण्डलों में निर्धारित चौकी स्थल पर न तो भवन तैयार हुये हैं और न ही अन्य कोई व्यवस्था है परन्तु आदेश जारी कर चौकी स्थापित कर दी गई हैं । जिन स्थानों पर भवन आदि की उपलब्धता भी है वहां निर्देशानुसार वन कर्मचारी तैनात नहीं रहते हैं तथा अधिकांश कर्मचारी अपनी – अपनी बीटों में रह कर ही कार्य सम्पादन कर रहे हैं । चौकियों को उपलब्ध कराये गये वाहन आमतौर पर संबंधित परिक्षेत्रों में सभी प्रकार के सामान्य कार्यो के लिये उपयोग किये जा रहे हैं तथा इस प्रकार उनका उपयोग एक बहुउद्देशीय उड़न दस्ता वाहन के रूप में किया जा रहा है ।

उपरोक्त विसंगतियों से स्पष्ट हो जाता है कि चौकी व्यवस्था को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ठीक से समझ कर तथा अधिनस्थों को समझाकर कार्य सम्पादन नहीं किया जा रहा है तथा ऐसा करने से चौकी व्यवस्था की मूल भावना ही विफल हो सकती है । इस संबंध में दिनांक 12–9–2007 को मेरे तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चौकी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण बावत स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं ।

इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय से प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुसार वन मण्डल वार स्थापित चौकियों का परीक्षण किया जावे तथा जहां – जहां पर विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर प्रत्येक चौकी के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन संरक्षण कक्ष को 05–10–2007 तक प्रेषित किया जावे । व्यवस्था सुधार बावत आपके कोई सुझाव हों तो उनका उल्लेख किया जाना चाहिये।

भवदीय

सही –

(व्ही. आर. खरे)

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश ।

पृ0कमॉक/एफ–12/2007/10–10/ 3337 /भोपाल :दिनांक 3/10/07

प्रतिलिपिः–

1– समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

2– समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

की और सूचनार्थ सम्प्रेषित । आपके प्रभार के वन वृत्त में दौरा करते समय सभी स्थापित चौकियों के कार्य सम्पादन की समीक्षा की जावे तथा एक या दो चौकियों का प्रत्येक दौरे के समय निरीक्षण किया जावे । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संरक्षण–कक्ष को उपलब्ध कराई जावे ।

29/9/07

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल